

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... 111/128 उलख एव 5.0 मुकाम... 11/11/21

वववा... बनाम... 3/11/21

किस्म मुकदमा... 111, 120 RUAET... 329/21 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/10/21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री... 11/11/21 चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 111, 120 RUAET</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 29/12/21... को पेश हो।</p>	
29/12/2021	<p>प्रार्थी वकील उपरिमत/विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस पूर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी</p> <p>मिजवाबे गुरु जिनकी एडी पुनः प्राप्त</p> <p>नहीं हुई है। श्रीमान पीएसजी अधिकारी डिग्री</p> <p>31/12/21 से कार्य होने के कारण इलवा टॉड</p> <p>आगामी दिनांक- 26/04/2022 को पेश है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>बायतु</p> <p>जिला - बाड़मेर</p>
26/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिमत/विप्रार्थी/वादी</p> <p>की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है,</p> <p>श्रीमान पीएसजी अधिकारी अवकाश के</p> <p>पछाटे हुए है मतः मिजवाब इलवा टॉड</p> <p>आगामी दिनांक- 12/05/2022 को पेश है।</p>	

12/05/2022

श्री वरील उपस्थित। विप्राथीगणों की
डिलेक्टरी रीति प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पैरा 17
गई, जिसे शामिल पत्रावली विमा गण/विप्राथी-
गण बावजुद सूचना अनुपस्थित। जिसे विकल्प
एडवर्ना उपस्थित समल के लाई जाती है।
मूल वाला बरत पत्रावली दिनांक-24/06/2022
डा पैरा 17/18

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

27/06/2022

प्रार्थी वकील ~~अनुपस्थित~~ विप्राथीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्राथीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो। 7

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1110

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27/06/2022
विप्रार्थीगण

1. खंगाराराम पुत्र करनाराम,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 28,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 329/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 626/202 रकबा 11.8930 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अप्रक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

क्रमांक : वाद/2022/1111-15

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खंगाराराम पुत्र करनाराम,
4. विप्रार्थी श्री कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 28,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर